उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश के लिए आरक्षित दिनांक 04.07.2023

आदेश पारित: 25/07/2023

डब्ल्यू.पी.सी. नंबर 2757/2021

श्रीमती जानकी साहू पत्नी श्री दशरथ साहू उम्र लगभग 53 वर्ष
निवासी ग्राम एवं पोस्ट–सेमरा 'बी', पुलिस थाना एवं
तहसील–भखारा, सिविल एवं राजस्व जिला–धमतरी छत्तीसगढ़। ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कलेक्टर, धमतरी, सिविल एवं राजस्व जिला–धमतरी छत्तीसगढ़।
2. अनु–विभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद/सक्षम प्राधिकारी, सिविल एवं राजस्व जिला–धमतरी छत्तीसगढ़।
3. नायब–तहसीलदार भखारा (पीठासीन अधिकारी), तहसील–भखारा, सिविल एवं राजस्व जिला–धमतरी छत्तीसगढ़।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुरूद, सिविल एवं राजस्व जिला–धमतरी छत्तीसगढ़।
5. कुशराज साहू आत्मज श्री आनंद राम साहू, उम्र लगभग 26 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 1, ग्राम पंचायत–सेमरा बी, निवासी ग्राम व पोस्ट–सेमरा बी,
6. श्रीमती इंदिरा बाई यादव पत्नी श्री यशवन्त यादव, पंच वार्ड क्रमांक 2, ग्राम पंचायत सेमरा बी,
7. टुलूराम विश्वकर्मा आत्मज श्री झाडू राम विश्वकर्मा, उम्र–लगभग 55 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 3, ग्राम पंचायत सेमरा बी.
8. अशोक कुमार साहू आत्मज श्री पुनीत राम साहू, उम्र लगभग 41 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 4, ग्राम पंचायत सेमरा बी.
9. श्रीमती त्रिवेणी बाई देवांगन पत्नी श्री भीमसेन देवांगन, उम्र–लगभग 35 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 5, ग्राम पंचायत सेमरा बी, निवासी ग्राम व पोस्ट–सेमरा बी.
10. श्रीमती पुष्पा सिन्हा पत्नी श्री लोकेश सिन्हा, उम्र–लगभग 32 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 6, ग्राम पंचायत सेमरा बी.
11. कृष्ण कुमार साहू आत्मज श्री खोरबाहरा राम, उम्र–लगभग 51 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 7, ग्राम पंचायत सेमरा बी.
12. खूबलाल साहू आत्मज श्री शिवदयाल साहू, उम्र–लगभग 32 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 8, ग्राम पंचायत सेमरा बी.
13. श्रीमती लता बाई साहू पत्नी श्री लक्ष्मीनाथ साहू, उम्र–लगभग 37 वर्ष, पंच वार्ड क्रं.–09, ग्राम पंचायत सेमरा बी।
14. उमेंद्र सिन्हा आत्मज श्री रमन सिन्हा, उम्र–लगभग 31 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 10, ग्राम पंचायत सेमरा बी।

15. मोहेंद्र कुमार साहू आत्मज श्री रामकिशुन साहू, उम्र–लगभग 38 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 11, ग्राम पंचायत सेमरा बी।
16. श्रीमती देवंतिन ध्रुव पत्नी श्री अनिल ध्रुव, उम्र–लगभग 28 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 12, ग्राम पंचायत सेमरा बी।
17. श्रीमती बिनेश्वरी सिन्हा पत्नी श्री वीरेंद्र कुमार सिन्हा, उम्र–लगभग 44 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 13, ग्राम पंचायत सेमरा बी.
18. नरेश कुमार साहू आत्मज श्री भाऊराम साहू, उम्र–लगभग 46 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 14, ग्राम पंचायत सेमरा बी.
19. पवन कुमार ध्रुव आत्मज स्वर्गीय श्री कृपा राम ध्रुव, उम्र–लगभग 45 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 15, उप–सरपंच ग्राम पंचायत सेमरा बी.
20. श्रीमती गोदावरी बाई निर्मलकर पत्नी श्री चुनूलाल निर्मलकर, उम्र–लगभग 45 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 16, ग्राम पंचायत सेमरा बी.
21. श्रीमती लीला बाई सिन्हा पत्नी श्री परस राम सिन्हा, उम्र–लगभग 36 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 17, ग्राम पंचायत सेमरा बी.
22. श्रीमती तुलसी बाई साहू पत्नी श्री संतोष साहू, उम्र–लगभग 28 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 18, ग्राम पंचायत सेमरा बी।
23. श्रीमती कृष्णा बाई राजपूत पत्नी श्री आनंद सिंह राजपूत, उम्र–लगभग 56 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 19, ग्राम पंचायत सेमरा बी।
24. श्रीमती अदिति सिन्हा पत्नी श्री मोती सिन्हा, उम्र–लगभग 51 वर्ष, पंच वार्ड क्रमांक 20, ग्राम पंचायत सेमरा बी।

उत्तरवादी क्रमांक 5 से 24 निवासी–ग्राम एवं पोस्ट – सेमरा 'बी',
पुलिस थाना एवं तहसील–भखारा,
सिविल एवं राजस्व जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़)। .....**उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से :	श्री रमेश नायक, अधिवक्ता ।
उत्तरवादी/राज्य क्रमाँक 1 से 3 की ओर से :	श्री राघवेंद्र प्रधान, अतिरिक्त महाधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमाँक 5 से 24 की ओर से :	श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता ।

<u>माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू</u>
<u>सी ए वी आदेश</u>

1. याचिकाकर्ता ने यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद–226 के अंतर्गत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र के तहत पेश किया है जिसमें आदेश दिनांक 30.06.2021 के आदेश द्वारा उत्तरवादी क्रमाँक–02 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है तथा उत्तरवादी क्रमांक 4 को स्थानापन्न सरपंच नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।

2. इस याचिका के निपटारे के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि ग्राम पंचायत सेमरा–बी, तहसील–भखारा, जिला–धमतरी के 18 पंचों ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था। सभी 18 पंचों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन 16.06.2021 को प्रस्तुत किया

गया था। विहित प्राधिकारी ने अगले ही दिन उत्तरवादी क्रमांक 4 को आवेदन में हस्ताक्षरों का सत्यापन करने तथा सूचना प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा। उत्तरवादी संख्या 4 ने दिनांक 17.06.2021 के पत्र के अनुसरण में उत्तरवादी संख्या 4 को ग्राम पंचायत सेमरा–बी द्वारा लिखित पत्र सहित सूचना प्रस्तुत की। संतुष्टि दर्ज करने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी ने 21.06.2021 को अविश्वास प्रस्ताव बुलाने की तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित किया तथा निर्वाचित पंचों को 30.06.2021 को निर्धारित स्थान एवं समय पर अविश्वास प्रस्ताव बुलाने हेतु नोटिस जारी किया। निर्धारित तिथि को अविश्वास प्रस्ताव की बैठक आयोजित की गई तथा पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही दर्ज करते हुए उल्लेख किया कि सभी 21 निर्वाचित सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव में भाग लिया तथा 17 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में, एक ने विरोध में तथा तीन मतों को अवैध घोषित किया गया तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाना दर्ज किया। पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कार्यवाही/रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 30.06.2021 के आदेश द्वारा घोषित किया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए यह याचिका दायर की है:–

"10.1 यह कि माननीय न्यायालय कृपया प्रतिवादियों को निर्देश दे कि वे मामले के सभी अभिलेख माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

10.2 यह कि, माननीय न्यायालय उत्तरवादी संख्या 2 के समक्ष पंजीकृत मामला क्रमांक 202106130500019/ए–89/6/2020–21(अनुलग्नक पी–4) की कार्यवाही को निरस्त करने की कृपा करे।

10.3 यह कि, माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे जाने वाले अन्य राहत भी न्याय के हित में याचिकाकर्ता को प्रदान की जा सकती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप-सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) नियम, 1994 के नियम 3 के उप-नियम 3 के तहत अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन है (जिसे आगे 'अगला नियम' कहा जाएगा। 1994') क्योंकि हस्ताक्षर विहित प्राधिकारी द्वारा स्वयं सत्यापित नहीं किए गए थे। हस्ताक्षर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा सत्यापित किए गए थे। आगे यह तर्क दिया गया है कि बैठक ग्राम पंचायत के परिसर में नहीं बुलाई गई थी, बल्कि यह जनपद पंचायत, कुरुद के कार्यालय में बुलाई गई थी, जो ग्राम पंचायत से बहुत दूर है। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक का समय निर्धारित करना केवल याचिकाकर्ता की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को सुविधाजनक बनाने के लिए है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि नियम 1994 के नियम 3 (1) (2) और (3) के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव की पूरी कार्यवाही अमान्य है। विश्वास प्रस्ताव दोषपूर्ण है। उन्होंने मोहनलाल पटेल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 596/2022 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जो 02.02.2022 को निर्णीत हुआ और गंगा साहू एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 80/2017 के मामले में, जो 01.08.2017 को निर्णीत हुआ।

4. उत्तरवादी क्रमाँक 1 से 3 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कानून के अनुसार है। ग्राम पंचायत के 21 पंचों में से 18 ने अपने हस्ताक्षर सहित आवेदन प्रस्तुत किया तथा विहित प्राधिकारी द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी (नायब तहसीलदार, भखारा) द्वारा संतुष्ट होने के पश्चात दिनांक 30.06.2021 को बैठक की तिथि तथा समय प्रातः 11.00 बजे एवं स्थान अर्थात हॉल क्रमांक 1, जनपद पंचायत, कुरूद निर्धारित किया गया। निर्वाचित पंचों को दिनांक 21.06.2021 को नोटिस जारी किया गया तथा दिनांक 30.06.2021 को बैठक निर्धारित की गई। बैठक निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर आयोजित की गई। सभी 21 निर्वाचित पंच उपस्थित रहे, अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में भाग लिया तथा अविश्वास प्रस्ताव एक के विरुद्ध 17 मतों के बहुमत से पारित हुआ तथा तीन मत अस्वीकृत हुए। याचिकाकर्ता ने विहित प्राधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के लिए दिनांक एवं स्थान निर्धारित करने संबंधी जारी नोटिस को चुनौती नहीं दी है। रिट याचिका में भी याचिकाकर्ता ने यह दलील नहीं दी है कि जनपद पंचायत कुरुद में अविश्वास प्रस्ताव बुलाने से कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। हालांकि याचिकाकर्ता मौजूद थी, लेकिन उसने बैठक में पीठासीन अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। छत्तीसगढ़ पंचायत (अपील एवं पुनरीक्षण) नियम, 1995 की धारा 21 (4) के तहत संदर्भ प्रस्तुत किया गया है, वह याचिका ग्राह्य योग्य नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उत्तरवादी क्रमांक 5 से 24 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अविश्वास प्रस्ताव 1994 के नियम और पंचायत राज अधिनियम, 1993 (जिसे आगे 1993 का अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया गया था। याचिकाकर्ता को सात दिन का स्पष्ट नोटिस दिया गया था। वह बैठक के निर्धारित स्थान पर उपस्थित हुई, भाग लिया लेकिन कोई आपत्ति जाहिर नहीं की और उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में यह नहीं दर्शाया है कि जनपद पंचायत कार्यालय के हॉल में बैठक आयोजित करने से उसे गंभीर नुकसान हुआ है और इसके अभाव में याचिकाकर्ता किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भुलिन देवांगन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2000 (4) एमपीएचटी 69, सहसराम जांगड़े एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2013 (4) सीजीएलजे 526 तथा गोपी लाल साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3723/2019,** दिनांक **18.10.2019, धर्मेंद्र रात्रे बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, डब्ल्यू.पी.(227) संख्या 791/2013** दिनांक **02.02.2015** को निर्णीत किए गए, पर भरोसा किया।

6. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

7. अभिलेख के अवलोकन से दर्शित होता है कि 21 में से 18 पंचों ने आरोप लगाया है कि वे इस मामले में दोषी पाए गए हैं। सभी ने अपने हस्ताक्षरों सहित दिनांक 16.06.2021 को विहित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से हस्ताक्षरों का सत्यापन किया, पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया, बैठक बुलाने की तिथि, समय व स्थान निश्चित किया तथा दिनांक 21.06.2021 को ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों को नोटिस जारी कर बैठक की तिथि 30.60.2021 निश्चित की। निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी 21

निर्वाचित पंच उपस्थित रह कर भाग लिया। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में याचिकाकर्ता को बोलने का समुचित अवसर दिया गया तथा उपस्थित 21 पंचों द्वारा वोट डालने के पश्चात प्रस्ताव के पक्ष में 17, प्रस्ताव के विरोध में एक तथा तीन वोट अवैध घोषित किए गए।

8. अधिनियम 1993 की धारा 21 के अनुसार उपस्थित एवं मतदान करने वाले पंचों का कम से कम ¾ बहुमत होना चाहिए तथा ऐसा बहुमत वर्तमान में ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या का 2/3 से अधिक होना चाहिए। 2/3 की आवश्यकता पूरी हो गई है क्योंकि ग्राम पंचायत के सभी 21 पंच उपस्थित थे तथा अविश्वास प्रस्ताव की बैठक में भाग लिया। बहुमत की प्रथम आवश्यकता के अनुसार, मामले के तथ्यों के आधार पर आवश्यकता 16 थी जबकि प्रस्ताव के पक्ष में 17 मत डाले गए। उपरोक्त के मद्देनजर, अधिनियम 1993 की धारा 21 (1) के अंतर्गत आवश्यकता पूरी हो गई है।

9. याचिकाकर्ता की शिकायत 1994 के नियम 3 (1) (2) (3) का अनुपालन न करने की है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, 1994 के नियम 3 महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. **नोटिस**. - [(1) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जो ग्राम पंचायत के सरपंच या उपसरपंच या जनपद या जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, वे इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र में विहित प्राधिकारी को इसकी सूचना देंगे:

बशर्ते कि ऐसी सूचना पर संबंधित पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे: आगे यह भी प्रावधान है कि जहां निर्वाचित सदस्य, सरपंच और उपसरपंच, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, वे पृथक से इसकी सूचना देंगे।]

(2) विहित प्राधिकारी, उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, उस पर एक प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करेगा, जिसमें यह लिखा होगा कि उसे किस समय और किस तारीख को सूचना दी गई है और इसकी प्राप्ति की सूचना देगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर विहित प्राधिकारी धारा 21 (3), 28 (3) और 35 (3) के संदर्भ में सूचना की ग्राह्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट होगा। इस प्रकार संतुष्ट होने पर वह ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की बैठक के लिए दिनांक, समय और स्थान नियत करेगा, जो उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी। ऐसी बैठक की सूचना, जिसमें दिनांक, समय और स्थान निर्दिष्ट किया गया हो, उसके द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से प्रेषित कराई जाएगी। जनपद या जिला पंचायत के अधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक संबंधित पंचायत सदस्य को बैठक से सात दिन पहले सूचना दी जाएगी।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन पर विचार करने के लिए कि बैठक ग्राम पंचायत परिसर में नहीं बुलाई गई थी, बल्कि यह जनपद पंचायत, कुरुद के परिसर में बुलाई गई थी, जो लगभग 27 किलोमीटर दूर है, नियम 1994 के नियम 3 (3) के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें केवल यह उल्लेख है कि विहित प्राधिकारी नोटिस की स्वीकार्यता के बारे में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की बैठक की तारीख, समय और स्थान तय करेगा। नियम 1994 के नियम 3 के उपनियम 3 के अन्तर्गत बैठक का स्थान निर्दिष्ट नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के संबंधित कार्यालय में ही आयोजित किए जाने के किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में मुझे याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन में कोई सार नहीं है कि विहित प्राधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के परिसर के अलावा अन्य स्थान पर बैठक निर्धारित करने में कोई अवैधानिकता की गई है।

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए अन्य आधारों के संबंध में कि एस.डी.ओ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से अविश्वास प्रस्ताव बुलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले पंचों के हस्ताक्षर प्राप्त करना 1994 के नियम 3 (2) और 3 का उल्लंघन है। 1994 के नियम 3 (3) के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त नियमों के तहत आवश्यकता केवल यह है कि निर्धारित प्राधिकारी को 1993 के अधिनियम की धारा 21 (3) के संदर्भ में नोटिस की स्वीकार्यता के बारे में खुद को संतुष्ट करना होगा। **अधिनियम 1993 की धारा 21 (3) का त्वरित संदर्भ हेतु नीचे उद्धरण दिया गया है:-**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"21. सरपंच एवं उपसरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव -

(1) उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों के तीन चौथाई से अन्यून ऐसे बहुमत से, जो तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के दो तिहाई से अधिक हैं, पारित संकल्प द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव ग्राम पंचायत के द्वारा पारित कर दिये जाने पर, वह सरपंच या उप सरपंच, जिसके विरूद्ध ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है, तत्काल प्रभाव से अपने पद पर नहीं रह जाएगा।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सरपंच या उपसरपंच उस सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा, जिसमें उसके विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, ऐसा सम्मिलन ऐसी रीति में संयोजित किया जाएगा जो विहित की जाए और उसकी अध्यक्षता सरकार के किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी जिसे विहित प्राधिकारी नियत करे। यथा स्थिति सरपंच या उप-सरपंच को उस सम्मिलन की कार्यवाही में बोलने या अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा।

(3) किसी सरपंच या उप-सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

(i) उस तारीख से, जिसको वह सरपंच या उपसरपंच अपना पद ग्रहण करता है, एक वर्ष की कालावधि के भीतर,

(ii) उस तारीख से, जिसका यथास्थिति उसा सरपंच या उपसरपंच की पदावधि का अवसान होता है, पूर्ववर्ती छः मास की कालावधि के भीतर,

(iii) उस तारीख से, जिसको पूर्वतन अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया गया था, एक वर्ष की कालावधि के भीतर नहीं लाया जाएगा।

(4) यदि यथास्थिति सरपंच या उप-सरपंच, उपधारा (1) के अधीन पारित किए गए प्रस्ताव की विधिमान्यता को चुनौती देने की वांछा करता है तो वह उस तारीख से जिसको कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया था सात दिन के भीतर कलेक्टर को विवाद निर्दिष्ट करगा जो यथासंभव उस तारीख से, जिसको कि वह उसे प्राप्त हुआ था, तीस दिन के भीतर उसे विनिश्चत करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम् होगा ।"

12. अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को चुनौती इस आधार पर नहीं दी जा सकती है कि यह अधिनियम, 1993 की धारा 21 (3) के तहत वर्णित प्रावधानों के विपरीत आयोजित की गई थी। वर्तमान मामले में, विहित प्राधिकारी ने अपनी संतुष्टि के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदन में पंचों के हस्ताक्षरों का सत्यापन करवाया है। संतुष्टि के बाद, उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव बुलाने के लिए कार्यवाही शुरू की। इस संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं है और इसलिए, एक बार जब विहित प्राधिकारी ने अपनी संतुष्टि दर्ज कर ली कि आवेदन 1993 के अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार है, तो याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि विहित प्राधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षरों का सत्यापन नहीं किया है, पूरी कार्यवाही दोषपूर्ण है, भी स्वीकार योग्य नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका में यह तर्क नहीं दिया है कि उसे कार्यवाही के किसी भी चरण में गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है। किसी भी गंभीर पूर्वाग्रह के अभाव में, तर्क प्रस्तुत की गई है कि बहुमत द्वारा किए गए अविश्वास प्रस्ताव में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में जब निर्वाचित पंचों के बहुमत ने याचिकाकर्ता पर अविश्वास प्रस्ताव रखा है। 1993 के अधिनियम की धारा 21 और 1994 के नियमों के तहत प्रावधान केवल यह प्रावधान करता है कि विहित प्राधिकारी के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव का अनुरोध नहीं किया जा सकता है। प्राधिकरण और इसे 1994 के नियमों के अनुसार बुलाया जाना चाहिए, बशर्ते कि यह अधिनियम 1993 की धारा 21 की उपधारा 3 के अंतर्गत नहीं आता है।

14. **भुलिन देवांगन (सुप्रा)** के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने 1994 के नियमों का पालन न करने पर विचार किया और इस प्रकार टिप्पणी की:-

> **"15.** सामान्य नियम यह है कि अनिवार्य आवश्यकता का पालन न करने पर अधिनियम निरस्त हो जाता है। हालाँकि, इसके कई अपवाद हैं। यदि किसी व्यक्ति विशेष के हित में क़ानून द्वारा कुछ आवश्यकताएँ या शर्तें प्रदान की जाती हैं, तो आवश्यकताएँ या शर्तें, यद्यपि अनिवार्य हैं, उसके द्वारा माफ की जा सकती हैं यदि कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है और ऐसे मामले में किया गया कार्य वैध होगा भले ही आवश्यकताओं या शर्तों का पालन न किया गया हो। **विद्वान** न्यायमूर्ति **सी.के. प्रसाद** द्वारा **धूमादंधीन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1997 (1) विधि भास्वर 49) में, जिसका अनुसरण** विद्वान न्यायमूर्ति **आर.एस. गर्ग** द्वारा **महावीर साकेत बनाम कलेक्टर, रीवा (1998 (1) जेएलजे 113)** में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव के निर्धारित दिनों के बाद बैठक

तय करने में नियम के पहले भाग का पालन न करने मात्र से पूरी कार्यवाही अमान्य नहीं हो जाती। धूमादंधीन (सुप्रा) के मामले में, सरपंच ने अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुलाने के नोटिस की वैधता पर सवाल नहीं उठाया था और वास्तव में प्रस्ताव का सामना करके मौका लिया था। माननीय न्यायमूर्ति **आर.एस. गर्ग** द्वारा **महावीर साकेत (सुप्रा) में** मानीय न्यायमूर्ति **सी.के. प्रसाद** द्वारा **धूमाधंदिन (सुप्रा)** में स्थगित बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने को बरकरार रखने का आदेश दिया गया क्योंकि निर्धारित पंद्रह दिनों के भीतर बुलाई गई बैठक में पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं था। धारा 21 की उपधारा (4) इसकी अनुमति देती है, सरपंच या उपसरपंच द्वारा कलेक्टर को विवाद का संदर्भ, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की सूचना पारित की गई थी। अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही या अधिनियम के तहत अन्य कार्यवाही भी इस न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत संवैधानिक न्यायालय के रूप में आक्षेप योग्य है। प्रत्येक मामले में नियम है कि दूसरा भाग जिसमें बैठक की सूचना सदस्य को भेजने की आवश्यकता होती है, अनिवार्य है, फिर भी कलेक्टर या इस न्यायालय के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को चुनौती देने के प्रत्येक मामले में, कलेक्टर या इस न्यायालय के लिए यह पता लगाना आवश्यक होगा कि किसी दिए गए मामले में नियम के किसी भी भाग का पालन न करने से वास्तव में न्याय की कोई विफलता हुई है या किसी भी पक्ष को कोई गंभीर पूर्वाग्रह हुआ है। सामान्य नियम यह है कि कानून के अनिवार्य प्रावधान के लिए सख्त अनुपालन की आवश्यकता होती है और निर्देशात्मक प्रावधान के लिए केवल पर्याप्त अनुपालन की आवश्यकता होती है। जहां प्रावधान अनिवार्य है, वहां भी इसका हर गैर-अनुपालन जरूरी नहीं है कि पूरी कार्रवाई निरस्त हो जाए। किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति न होने पर भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत प्राधिकारी इस आधार पर कार्रवाई निरस्त करने से इनकार कर सकता है कि प्रभावित पक्ष या किसी अन्य पक्ष को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, जिसका कार्यवाही में कोई अन्य बड़ा हित हो। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय को हस्तक्षेप न करने का विवेकाधिकार भी है, भले ही कानून की अनिवार्य आवश्यकता का सख्ती से पालन न किया गया हो, क्योंकि इससे कोई गंभीर नुकसान या न्याय की विफलता नहीं हुई है। इस प्रकार विभिन्न एकल पीठ के निर्णय जिसमें 1994 के नियम 3 (3) के दूसरे भाग का कुछ उल्लंघन पाए जाने के बाद भी पारित अविश्वास प्रस्ताव को अमान्य नहीं किया गया था। इस आधार पर कि इससे प्रभावित पक्षों को कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ है। विधानमंडल की मंशा धारा 21 और उसके तहत बनाए गए नियम 3 (3) में निहित प्रावधानों से समझी जानी चाहिए। प्रावधानों से यह मंशा जाहिर होती है कि अविश्वास प्रस्ताव की बैठक 15 दिनों से अधिक की उचित अवधि के भीतर बुलाई जाए और प्रत्येक सदस्य को इसकी सूचना सात दिन पहले दी जाए। अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नियम 3 के उप-नियम (1) के पहले परंतुक के अनुसार निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 द्वारा पेश की जानी चाहिए और इसे उपस्थित और मतदान करने वाले पंचों के कम से कम 3/4 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा विधिपूर्वक पारित किया जा सकता है और ऐसा बहुमत अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के अनुसार पंचायत का गठन करने वाले पंचों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक होना चाहिए। अधिनियम और नियमों के अंतर्गत प्रावधानों का सार यह है कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपनियम (3) के दूसरे भाग का मात्र गैर-अनुपालन प्रत्येक मामले में कार्रवाई को अमान्य नहीं करेगा, जब तक कि धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत विवाद का निर्णय करते समय कलेक्टर या संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर न पहुंच जाए कि ऐसे गैर-अनुपालन से प्रभावित पदाधिकारी को गंभीर नुकसान पहुंचा है या अन्यथा न्याय में विफलता हुई है।

15. **सहसराम जांगड़े (सुप्रा)** के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार यह अभिर्निधारित किया है कि-

"6. जब म.प्र. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ और इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा निर्धारित कानून को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है, तो यह देखा जाना चाहिए कि उत्तरवादी क्रमांक 6 सरपंच ने अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष कोई आधार नहीं उठाया है कि तथ्य यह है कि बैठक नोटिस भेजने की तिथि से 8 वें दिन बुलाई गई थी, न कि 9 वें दिन, और इस प्रकार स्पष्ट 7 दिन का नोटिस जारी नहीं किया गया था, उन्हें बैठक के लिए खुद को तैयार करने में गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है और अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आरोपित आदेश में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं होने के कारण, यह माना जाएगा कि उत्तरवादी नंबर 6 सरपंच के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं किया गया है और इस प्रकार पूर्वाग्रह या न्याय की विफलता के अभाव में, अतिरिक्त कलेक्टर ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की घोषणा करने वाले ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को गलत तरीके से रद्द कर दिया है। यह भी देखा जाना चाहिए कि जब इस न्यायालय ने पूर्व रिट याचिका में यह माना है कि मई 2011 में ग्राम पंचायत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का पूर्व प्रस्ताव तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया है, तो एक वर्ष के भीतर दूसरा प्रस्ताव लाने पर रोक लागू नहीं होगी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत या उप संचालक पंचायत से राय नहीं लेनी चाहिए थी। हालांकि, ऐसा करके उन्होंने इस प्रक्रिया में 7 दिन बर्बाद कर दिए। इसलिए, एक बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद लोकतांत्रिक मानदंडों और वैधानिक प्रावधानों को विहित प्राधिकारी की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता, जबकि **भुलिन देवांगन (सुप्रा)** के मामले में विधि अच्छी तरह से स्थापित है। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करने वाली ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को अवैध घोषित करने से सदन की इच्छा निरर्थक हो जाएगी और सदन का विश्वास खो चुकी सरपंच को बिना किसी जनादेश के काम करने की अनुमति मिल जाएगी। नियम की ऐसी व्याख्या न तो स्वीकार्य है और न ही इसकी परिकल्पना की गई है और यह न्यायालय निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सदन की इच्छा को विफल करने के ऐसे प्रयासों की अनुमति नहीं देगा, जिसके बहाने विलंबकारी रणनीति अपनाई जा सके। उच्च अधिकारियों से विधिक राय या राय प्राप्त करना। उत्तरवादी क्रमांक 6 के विद्वान अधिवक्ता ने **जुगराज सिंह मरकाम बनाम धन्नालाल मरावी एवं अन्य : 2003 (4) एमपीएलजे 37**8 के मामले में **म.प्र. उच्च न्यायालय** के निर्णय का अनुशरण किया है। तथापि, उपरोक्त निष्कर्ष और विशेष रूप से म.प्र. उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित विधि और इस मामले के विशिष्ट तथ्यों के मद्देनजर, उत्तरवादी क्रमांक 6 द्वारा अवधारित किया गया उक्त निर्णय लागू नहीं होता और विभेदनीय है। परिणामस्वरूप, रिट याचिका सफल होती है और उसे अनुमति दी जाती है। अपर कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 28.06.2012 का विवादित आदेश अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप उत्तरवादी क्रमांक 6 अब ग्राम पंचायत दहिदा, तहसील सारंगढ़ जिला रायगढ़ का सरपंच नहीं रह गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. उपर्युक्त निर्णय में न्यायालय ने माना है कि अनिवार्य प्रावधानों का पालन न करने पर आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण कार्रवाई निरस्त हो जाए तथा अनिवार्य प्रावधानों की पूर्ति न करने की स्थिति में निर्णय लेने के लिए अधिकृत प्राधिकारी इस आधार पर कार्रवाई निरस्त करने से इंकार कर सकता है कि प्रभावित पक्ष को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है।

17. अविश्वास प्रस्ताव पारित करने वाले सदस्यों द्वारा कोई विशेष आधार न उठाए जाने के कारण कि अविश्वास बैठक बुलाने की प्रक्रिया में उन्हें गंभीर नुकसान हुआ है, ऐसा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जा सकता।

18. विधानमंडल की मंशा 1993 के अधिनियम की धारा 21 तथा उसके अधीन बनाए गए 1994 के नियम 3(3) में निहित प्रावधानों से जानी जाती है। वर्तमान मामले में नोटिस प्राप्त होने के पश्चात विहित प्राधिकारी ने मामले में अपनाई गई कार्यवाही निरस्त करने से इंकार कर दिया। संतोषप्रद होने पर अधिकारी नियुक्त करके बैठक बुलाने की कार्यवाही की, बैठक की तिथि, समय और स्थान तय किया और निर्वाचित पंचों को 7 स्पष्ट दिन का नोटिस जारी किया। बैठक में याचिकाकर्ता सरपंच सहित सभी पंचों ने भाग लिया। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने नोटिस प्राप्त होने के बाद भी ग्राम पंचायत के परिसर के अलावा बैठक आयोजित करने के किसी भी अधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति नहीं उठाई है और न ही इस याचिका में उसके प्रति कोई गंभीर पूर्वाग्रह दिखाया गया है और इसलिए किसी विशिष्ट प्रावधान के उल्लंघन के अभाव में, उसे बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद यह आधार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव के आदेश या अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए अधिनियम 1993 की धारा 21 (4) के तहत निर्धारित कोई कार्यवाही नहीं की है, बल्कि सीधे इस न्यायालय के समक्ष यह याचिका दायर की है। इस याचिका में कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बताई गई है, जब किसी कार्यवाही/आदेश को चुनौती देने के लिए कानून के तहत विशिष्ट प्रावधान प्रदान किए गए हैं, तो याचिकाकर्ता को कानून के तहत उपलब्ध वैधानिक उपाय को उपेक्षा करने की अनुमति नहीं है।

20. उपरोक्त निष्कर्षानुसार याचिका सारहीन होने से **खारिज** किए जाने योग्य है।

एसडी/-
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur